न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 361/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

बाबूलाल रूधनाथ पिता महादेव जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियमन 1970 की धारा 14(4)

निर्णय दिनांक 06-04-2021

प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् अप्रार्थी की गैर खातेदारी निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो बिन्दुवार निम्मन भांति पेश हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर में स्थित है जो कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1536/23 पर आवंटन में पश्चात् अप्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है।
3. यह है कि आवंटी ने आवटन की शर्तो की पालना नहीं की है।
4. यह है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1536/23 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 है जो अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 धारा 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम आमलौदा दूदी तहसील विराटनगर में से अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।
6. प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया । बाद तामील अप्रार्थी रघुनाथ उपस्थित आया तथा अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।
7. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 का दिनांक 02/5/2017 को पेश किया जो दिनांक 30/10/2018 को स्वीकार किया गया।
8. अप्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में जवाब पेश हुआ । प्रस्तुत जवाब में तथ्य इस प्रकार पेश किया है कि अप्रार्थीगण का आवंटन से समय से ही आराजी खसरा नम्बर 1536/23 रकबा 0.50 है0 पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण आज भी मौके पर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है तथा मौके पर बोई हुयी फसल खडी है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत एवं मिथ्या है। आवंटन के बाद आज दिनांक तक आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण् का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण् ने आवंटन की शर्तो की पूर्णतया पालना की है। अप्रार्थीगण् आवंटन के पश्चात् उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त रहा है तथा आवंटन के पश्चात् नियमों की पूर्णतया पालना की है। इस कारण अप्रार्थीगण् को आराजी ख.नं 1530/23 रकबा 0.25 है0 के हक खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। उक्त आराजी की गैर खातेदारी किसी भी प्रकार से प्रार्थी निरस्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण्

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

आवंटित भूमि पर आवंटन नियम से ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहे है। इस कारण से अप्रार्थीगण् को कानून रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए प्रार्थी प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा विशेष कथन में वर्णित किया है कि प्रार्थी ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो मियाद बहार भी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

9. अप्रार्थीगण की ओर से जरिये वकील प्रकरण में एक प्रार्थना–पत्र मौका रिपोर्ट मगवाने का दिनांक 01/10/2019 को पेश हुआ तथा प्रकरण में नायब तहसीलदार विराटनगर को मौका कमीशनर दिनांक 23/3/2021 को नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आगामी तारीख पर पेश करने हेतु तहरीर जारी की गयी, जिसकी पालना में फर्द मौका रिपोर्ट मौके की तैयार की हुयी दिनांक 06/4/2021 को पेश हुयी जो संलग्न पत्रावली है।

10. बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर का कथन है कि आराजी ख.नं. 1563/23 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम आमलौदा दूदी तहसील विराटनगर में स्थित है जो कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1536/23 आवंटन के पश्चात् आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जाकर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी हल्का आमलौदा दूदी दिनांक 27/01/2013 को प्रस्तुत रिपोर्ट से अवगत कराया गया था कि जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 435 में ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 3 बाबूलाल रूघनाथ पिता महोदव जाति गुर्जर गैर खातेदारी दर्ज है। आवंटी का मौके 1/2 कब्जा नही है। आवंटी द्वारा आवंटी होने से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण् की कब्जा काश्त नहीं होने से गैर खातेदारी निरस्त की जावें

अतः प्रार्थना–पत्र आवंटन नियम 1970 धारा 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम आमलौदा दूदी तहसील विराटनगर में से अप्रार्थीगण् का नाम हटाया जाकर राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

11. अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओ को दौहराते हुये वकील अप्रार्थी ने बहस में अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण् का आवंटन के समय से ही आराजी ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 है. पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28/5/89 को ग्राम आमलौदा दूदी के आराजी ख.नं. 1536/23 रकबा 0.50 बाबूलाल रघुनाथ पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी आमलौदा दूदी को भूमि आवंटन की गयी थी भूमि आवंटन के पश्चात् आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामा.सं. 227 दिनाक 31/10/90 को स्वीकार हुआ है। अप्रार्थीगण् का आज भी मौके पर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। प्रार्थी पैरोकार सरकार का यह कथन कतई गलत एवं मिथ्या है कि आवंटन के बाद आज दिनांक तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण् को भूमि आवंटन होने के पश्चात् से आवंटन की शर्तों की पूर्णतया पालना की है। इस कारण से अप्रार्थीगण को गैर खातेदार अधिकार प्राप्त मिले हुये है। प्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा काबिज काश्त रहकर उक्त भमि में फसल काश्त की है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 में 0.50 है. में गेहूँ, सम्वत 2067 में 0.50 है. में बजरा, सम्वत 2068 मे 0.25 है. पर बाजरा एव 0.25 है. पर ग्वार काश्त की है। अप्रार्थीगण् को कानून रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस कारण से खातेदारी निरस्त करने प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं एव प्रकरण में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 का पेश किया है जो चलने योग्य नही है। नायब तहसीलदार द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30/3/2021 के अनुसार उक्त आराजी 1536/23 रकबा 0.50 है. गेहूँ की फसल कटी हुयी है। गेहूँ की फसल रघुनाथ पुत्र महादेव

बाबूलाल पुत्र महादेव जाति गुर्जर द्वारा की गयी है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना- पत्र धारा 14(4) आवंटन / नियमन 1970 खारिज किया जावे।

12 उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एवं खसरा गिरदावरी एवं प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28 / 5 / 89 को ग्राम आमलौदा दूदी के आराजी ख.नं. 1536 / 23 रकबा 0.50 बाबूलाल रघुनाथ पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी आमलौदा दूदी को भूमि आवंटन की गयी थी। आवंटन के पश्चात् आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामा.सं. 227 दिनांक 31 / 10 / 90 को स्वीकार हुआ होना पाया जाता है। वकील अप्रार्थी ने बहस मे अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण का आवंटन के समय से ही उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पैरोकार सरकार का यह कथन कतई गलत है कि आवंटन के बाद आज दिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है, जबकि उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहकर फसल काश्त की है जिसकी प्रमाणिकता के लिए खसरा गिरदावरी सम्वत 2065 से सम्वत 2068 संलग्न पत्रावली है तथा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 06 / 4 / 2021 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1536 / 23 रकबा 0.50 गेहूं की फसल कटी हुयी है। गेहूं की फसल बाबूलाल रघुनाथ पिता महादेव जाति गुर्जर द्वारा की गयी है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर को गैर खातेदारी निरस्त कराने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है ना ही उन्हें अनुतोष दिया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जावे।

चूंकि पत्रावली के अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा दिनांक 28 / 5 / 89 को ग्राम आमलौदा दूदी के आराजी ख.नं. 1536 / 23 रकबा 0.50 बाबूलाल रघुनाथ पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दूदी को भूमि आवंटन की गयी थी आवंटन के पश्चात् गैर खातेदारी का नामान्तरकरण 227 दिनांक 30 / 10 / 90 स्वीकार होना पाया जाता है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2065 से 2068 के मुताबिक आवंटी बाबूलाल रघुनाथ पिता महोदव जाति गुर्जर सा. देह गैर खातेदारान् द्वारा फसल काश्त करना प्रमाणित है। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर तैयार की गयी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30 / 3 / 71 के मुताबिक मौके पर उक्त आराजी ख.नं. 1536 / 23 रकबा 0.50 है0 गेहूँ की फसल कटी हुयी है। उक्त गेहूँ की फसल रघुनाथ पुत्र महादेव बाबूलाल पुत्र महादेव जाति गुर्जर द्वारा की गयी होना अंकित है। आवंटी की आज भी उक्त भूमि पर गैर.खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर काश्त कर फसल की जा रही है। इससे प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर का कथन कतई गलत है कि आज दिनांक तक अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त नही की है ना ही आवंटन नियमो की पालना की है। इसलिए अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी को निरस्त किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नही है जो खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13 अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन 1970 के तहत् अप्रार्थीगण के विरुद्ध गैर खातेदारी निरस्त कराने का पेश किया है उसे अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की प्रति प्रमाणित तहरीर के साथ तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर को भिजवायी जावें।

14 निर्णय आज दिनांक 6.5.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला (कलक्टर)
कोटपूतली (जयपुर)